



10



**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला-अनूपपुर

दिनांक 26/09/15

क्रमांक 2679-III/15

विमला बाई पुत्री स्व. श्री भोदल निवासी-  
ग्राम देवरी, तहसील व जिला अनूपपुर  
(म.प्र.) -- अपीलार्थी

विरुद्ध

श्री. धर्मराज महरा  
विरुद्ध जिला दि. 18-8-15 को  
प्रस्तुत

कलकत्ता ऑफिस क्रमांक 15  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- कोदुआ महरा पुत्र मायाराम महरा
- 2- बच्चू पुत्र मायाराम महरा
- 3- सुखलाल पुत्र मायाराम महरा
- 4- केमली पुत्री चुनुआ महरा
- 5- चोरसिया पुत्र पुनुआ महरा  
दलुआ पुत्र दददी महरा मृत द्वारा वारिसान
- 6- गल्फी पत्नी मंयकू महरा
- 7- नानबाई बेवा लल्ले महरा
- 8- भाला प्रसाद पुत्र लल्ले महरा  
जगदेव पुत्र बुटानी महरा मृत
- 9- श्यामलाल पुत्र बुटानी महरा
- 10- दीनदयाल पुत्र बुटानी महरा  
शोभा पुत्र ग्यादीन महरा मृत द्वारा  
वारिसान महिपाल पुत्र शोभा महरा
- 11- वद्रीप्रसाद पुत्र माले महरा
- 12- अन्नप्रसाद पुत्र मोले महरा
- 13- बबू पुत्र मनोहरा महरा
- 14- रामपदारथ पुत्र मनोहरा महरा
- 15- नानबाई पुत्री बुटानी महरा
- 16- दीपा पुत्री लल्ले महरा  
सभी निवासी - ग्राम देवरी तहसील व  
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)
- 17- सामोता पुत्री रघुवर महरा पत्नी मोले  
महरा निवासी - बरगवां तहसील व  
जिला अनूपपुर म.प्र.
- 18- छविलाल पुत्र रघुवर महरा  
निवासी - ग्राम देवरी तहसील व  
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थागण

न्यायालय कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक  
58/ए-74/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2679-तीन/2015

जिला अनूपपुर

विमला बाई

विरुद्ध

कोदुआ महारा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-10-2015	<p>आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 58/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 29-6-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ प्रकरण में संलग्न अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील एक बार पुनर्स्थापित किये जाने के बाद पुनः संहिता की धारा 35(3) पुनःपुनर्स्थापना की व्यवस्था विधि में न होने से निरस्त की है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि उनके अभिभाषक सिविल न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। संहिता की धारा 35(3) में यह समावेश नहीं है कि एक बार प्रकरण पुनर्स्थापित होने के पश्चात पुनः पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाया गया आधार उचित प्रतीत होता है अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29-6-2015 निरस्त किया जाता है प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ</p>	

31



प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये तो उन पर विचार कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये। प्रकरण का निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।



(डा० मधु खरे)  
सदस्य